**भारत गणराज्‍य की सरकार और उज्‍बेकिस्‍तान गणराज्‍य की सरकार**

**के बीच वर्ष 2015-17 के लिए संस्‍कृति और कला के क्षेत्र में**

**सहयोग कार्यक्रम**

भारत गणराज्‍य की सरकार और उज्‍बेकिस्‍तान गणराज्‍य की सरकार (जिन्‍हें इसके पश्‍चात ‘दोनों पक्ष’ के रूप में उल्लिखित किया गया है),

भारत गणराज्‍य की सरकार और उज्‍बेकिस्‍तान गणराज्‍य की सरकार के बीच नई दिल्‍ली में 5 जनवरी, 1994 को हस्‍ताक्षरित संस्‍कृति सहयोग करार को ध्‍यान में रखते हुए ;

वर्ष 2015-17 के लिए सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम संपन्‍न करने को तत्‍पर होते हुए;

 निम्‍नलिखित पर सहमत हुए हैं :-

**अनुच्‍छेद – 1**

 दोनों पक्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग को बढ़ाने तथा अपने सांस्‍कृतिक संगठनों के बीच सीधे संपर्कों को स्‍थापित करने में सहयोग करेंगे।

**अनुच्‍छेद – 2**

भारतीय सांस्‍कृतिक संबंध परिषद/अन्‍य संबंधित एजेंसियां तथा उज्‍बेकिस्‍तानी कला अकादमी एक वर्ष में दो सप्‍ताह की अवधि के लिए कलाकारों, कला समालोचकों एवं अकादमीविदों के बीच अनुभव एवं ज्ञान का आदान-प्रदान करेंगे।

**अनुच्‍छेद – 3**

भारतीय सांस्‍कृतिक संबंध परिषद/भारत में अन्‍य एजेंसी तथा उज्‍बेकिस्‍तानी कला अकादमी एक वर्ष में दो सप्‍ताह की अवधि के लिए संग्रहाध्‍यक्ष सहित चित्रकला/कला वस्‍तुओं/मूर्तिकला की एक प्रदर्शनी का आदान-प्रदान करेंगे।

**अनुच्‍छेद – 4**

उज्‍बेकिस्‍तानी पक्ष भारतीय बाल चित्रकला समिति द्वारा भारत में आयोजित होने वाली शंकर अंतरराष्‍ट्रीय बाल प्रतियोगिता के लिए उज्‍बेकिस्‍तानी कला अकादमी के माध्‍यम से पेंटिंग/चित्र, व्‍याख्‍याएं और अन्‍य सामग्री भेजेगा और वहीं भारतीय पक्ष उज्‍बेकिस्‍तानी कला अकादमी द्वारा आयोजित अंतरराष्‍ट्रीय बाल चित्र द्विवार्षिक उत्‍सव ‘’जॉयज ऑफ ताशकेंट’’ में भागीदारी के लिए बेहतरीन युवा कलाकारों की कलाकृतियों को भेजेगा।

**अनुच्‍छेद – 5**

भारतीय पक्ष की ओर से राष्‍ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय अथवा ललित कला अकादमी तथा उज्‍बेकिस्‍तानी कला अकादमी एक-दूसरे के देश में प्रतिष्ठित राष्‍ट्रीय चित्रकारों और कलाकारों की एक-एक समूह प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे।

**अनुच्‍छेद – 6**

भारतीय सांस्‍कृतिक संबंध परिषद/भारत में अन्‍य एजेंसी इस करार की वैधता की अवधि के दौरान उज्‍बेकिस्‍तान में आयोजित होने वाले अंतरराष्‍ट्रीय संगीत उत्‍सव ‘’शर्क तारोनालरी’’ में भाग लेंगे और यह भागीदारी उक्‍त कार्यक्रम की शर्तों के अनुसार होगी तथा भारतीय पक्ष उज्‍बेकिस्‍तानी पक्ष के आयोजकों द्वारा निर्धारित संगीत समूहों तथा प्रस्‍तुतियों की मेज़बानी करेगा।

**अनुच्‍छेद – 7**

दोनों पक्ष दोनों देशों में पुस्‍तकालय संग्रहों की दुर्लभ पांडुलिपियों के प्रलेखीकरण और डिजी‍टलीकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

**अनुच्‍छेद – 8**

भारतीय राष्‍ट्रीय अभिलेखागार और उज्‍बेकिस्‍तान गणराज्‍य के मंत्रियों के मंत्रिमंडल के अधीन ‘’उजरहिव’’ एजेंसी उज्‍बेकिस्‍तान और भारत में अभिलेखीय दस्‍तावेजों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे।

**अनुच्‍छेद – 9**

राष्‍ट्रीय पुस्‍तकालय, कोलकाता, भारत और अलीशेर नवोई उज्‍बेकिस्‍तान स्‍टेट लाइब्रेरी पारस्‍परिक सहयोग के लिए पुस्‍तकों तथा अन्‍य संबंधित सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों पुस्‍तकालय उज्‍बेकिस्‍तान और भारत में पुस्‍तकों तथा इलेक्‍ट्रॉनिक सूचना सामग्री पर एक प्रदर्शनी आयोजित करेंगे।

**अनुच्‍छेद – 10**

दोनों पक्ष वार्षिक आधार पर पारस्‍परिक रूप से सुविधानुसार तारीखों पर 12 से 16 सदस्‍यों वाले एक-एक मंच कला समूहों के दौरों का आदान-प्रदान करेंगे।

**अनुच्‍छेद – 11**

दोनों पक्ष निम्‍नलिखित क्षेत्रों में सहयोग का विकास करने संबंधी कार्य करेंगे :

1. उज्‍बेकिस्‍तान में प्राचीन स्‍थलों विशेषकर कुषाण तथा उत्‍तरवर्ती अवधि से संबंधित स्‍थलों का अन्‍वेषण और उत्‍खनन।
2. पुरातत्‍व विज्ञान, अभिलेखागार, पुरालेख शास्‍त्र, संग्रहालय विज्ञान, भवन संरक्षण और स्‍मारकों के वैज्ञानिक परिरक्षण के क्षेत्रों में ज्ञान, अनुभव, विद्वानों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।
3. उज्‍बेकिस्‍तान और भारत में तिमूरिद, साफाविद और मुगल स्‍मारकों का स्‍थापत्‍य कला संबंधी अध्‍ययन, संरक्षण और परिरक्षण
4. उज्‍बेकिस्‍तान के संग्रहालयों में संग्रहीत पुरावस्‍तुओं तथा कला वस्‍तुओं पर कैटलॉग का प्रकाशन।
5. उज्‍बेकिस्‍तान के सुविख्‍यात विद्वानों द्वारा सृजित किए गए साझा हितों के रचना कार्यों का रूसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद।
6. पुरातत्‍व विज्ञान, पुरालेख शास्‍त्र, संग्रहालय विज्ञान, और स्‍मारकों के ढांचागत एवं वैज्ञानिक परिरक्षण संबंधी प्रकाशनों का आदान-प्रदान।

**अनुच्‍छेद - 12**

 भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण और उज्‍बेकिस्‍तानी पुरातत्‍व विज्ञान संस्‍थान कला, पुरातत्‍व विज्ञान और स्‍थापत्‍य के क्षेत्र में सहयोग करेंगे और तीन महीनों की अवधि के लिए इन क्षेत्रों के दो से तीन विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे जिस पर पारस्‍परिक रूप से सहमति बनाई जाएगी।

**अनुच्‍छेद – 13**

भारत का राष्‍ट्रीय संग्रहालय और उज्‍बेकिस्‍तान का राजकीय कला संग्रहालय परस्‍पर रूप से तय किए गए 3 माह तक की अवधि के लिए संग्रहालय प्रदर्शों की देखरेख करने वाले दो से तीन विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

**अनुच्‍छेद – 14**

भारत की साहित्‍य अकादमी और उज्‍बेकिस्‍तान गणराज्‍य का संस्‍कृति और खेल कार्यं मंत्रालय, कला अकादमी, उज्‍बेकिस्‍तान निम्‍नलिखित के माध्‍यम से संस्‍कृति, कला और कला अध्‍ययन के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्‍साहित करेंगे :-

1. विशेषज्ञों और प्रशिक्षुओं का आदान-प्रदान;
2. प्रलेखनों; प्रकाशनों का आदान-प्रदान और समस्‍याओं पर संगोष्ठियों का आयोजन, परस्‍पर हित संबंधी प्रस्‍तुतिकरण;
3. संयुक्‍त वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं की प्रस्‍तुति
4. एक-दूसरे के देश में जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के भाग के रूप में 5 लेखकों तक का आदान-प्रदान।

**अनुच्‍छेद – 15**

दोनों पक्ष, खिलाडि़यों और प्रशिक्षकों के आदान-प्रदान सहित खेल संगठनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास को प्रोत्‍साहित करेंगे।

**अनुच्‍छेद – 16**

सभी अतिरिक्‍त प्रस्‍ताव, राजनयिक चैनलों के माध्‍यम से हासिल किए जाने वाले आगे की परस्‍पर सहमति के अध्‍यधीन हैं।

**अनुच्‍छेद – 17**

दोनों पक्ष, जहां तक संभव है, ताशकंद और नई दिल्‍ली में बारी-बारी से इस कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन के वार्षिक मूल्‍यांकन हेतु बैठक आयोजित करने के लिए सहमत हैं।

**अनुच्‍छेद – 18**

अनुलग्‍नक में शामिल सामान्‍य शर्तें इस कार्यक्रम का अभिन्‍न अंग हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले सभी कार्यकलापों से संबंधित वित्‍तीय नि‍हितार्थ राजनयिक चैनलों के जरिए परस्‍पर परामर्श द्वारा दोनों पक्षों की कार्यान्‍वयन एजेंसियों के बीच निर्धारित किए जाएंगे।

**अनुच्‍छेद - 19**

यह कार्यक्रम इस पर हस्‍ताक्षर होने की तारीख से प्रवृत्‍त और यह 31 दिसम्‍बर, 2017 तक अथवा जब तक नए कार्यक्रम पर हस्‍ताक्षर नहीं होता है, प्रभावी रहेगा।

 इस कार्यक्रम पर ताशकंद में दिनांक 06 जुलाई 2015 को हिंदी, उज्‍बेक और

 अंग्रेजी भाषा प्रत्‍येक की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्‍ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से

 प्रामाणिक हैं। व्‍याख्‍या में भिन्‍नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्‍य होगा।

 Sd/- Sd/-

भारत गणराज्‍य की सरकार की ओर से उज्‍बेकिस्‍तान गणराज्‍य की सरकार की ओर से

जुलाई

**अनुलग्‍नक**

**भारत गणराज्‍य की सरकार और उज्‍बेकिस्‍तान गणराज्‍य की सरकार के बीच सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत आदान-प्रदान को प्रबंधित करने संबंधी सामान्‍य प्रावधान**

 1. व्‍यक्तियों/प्रदर्शनियों/प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान

क) प्रत्‍येक पक्ष इस कार्यक्रम के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल अथवा व्‍यक्तियों के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो (2) माह पूर्व दूसरे पक्ष को उनके जीवन-वृत्‍त, प्रस्‍तावित यात्रा कार्यक्रम, निर्धारित आगमन एवं प्रस्‍थान तिथियों की सूचना भेजेगा तथा रंगमंच प्रतिनिधिमंडलों और प्रदर्शनियों के मामले में यह सूचना कम से कम चार माह पहले भेजी जाएगी।

ख) मेजबान पक्ष, प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने के एक (1) माह के भीतर इसकी स्‍वीकृति या अन्‍यथा की सूचना देगा।

ग) प्रस्‍ताव का अनुमोदन प्राप्‍त होने के पश्‍चात् प्रेषक पक्ष मेज़बान पक्ष को कम से कम तीन सप्‍ताह पहले व्‍यक्ति/व्‍यक्तियों के आगमन के सही साधन एवं समय की सूचना भेजेगा।

घ) आमंत्रित व्‍यक्तियों को मेजबान पक्ष की भाषा या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

2. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश से भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों और व्‍यक्तियों को मेजबान देश की संस्‍कृति और जीवन से परिचित कराने के उद्देश्‍य से सुविधा प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष, अपने-अपने विशेषज्ञों को यह सलाह देंगे कि वे स्‍वयं स्‍वास्‍थ्‍य और जीवन बीमा नीति की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करें जो मेजबान पक्ष के देश में उनके प्रवास की अवधि के दौरान वैध रहेगा।